**प्रकरण संख्या 85/2016 मावजी बनाम समसु**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.02.2020 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उदयगढ़ कालाखेत में आराजी नंबर 13 रकबा 1.06 एकड भूमि स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी की होकर उसमें वादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2016 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.10.2016 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।<br><br>वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।<br><br>अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ इकरारनामे की फोटो प्रति प्रस्तुत की, जो सत्य प्रतिलिपि नहीं होने से उक्त दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता।<br><br>गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि पत्रावली अपीलान्ट के जवाब हेतु नियत थी, किन्तु बिना जवाब लिये | |

निर्धारित तिथि से प्रथक दिनांक को प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली अपीलान्ट/ प्रतिवादी के जवाब हेतु दिनांक 02.05.2016 को नियत थी, किन्तु बिना जवाब लिये उक्त दिनांक से प्रथक दिनांक 29.06.2016 को प्रकरण में निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाब लेकर तथा उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 13:38:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: